कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांकः एफ–6( ) आ.राज.(सा.प्र.) / जननि / 2011 / 223 जयपुर, दिनांक 17-8-11

अधिसूचना

नगर निगम जयपुर की साधारण सभा मीटिंग दिनांक 20.05.2011 के प्रस्ताव सं. 1 के द्वारा नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधियां 2011 की स्वीकृति प्रदान की गई है, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ उक्त उपविधियां प्रकाशित की जाती है:–

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 105 सपठित धारा 340 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जयपुर एतद् द्वारा नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधियां 2011 नगर निगम जयपुर की साधारण सभा में स्वीकृति दिनांक 20.05.2011 से प्रभावशील होगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. माननीय महापौर / उपमहापौर, नगर निगम जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर
5. पुलिस कमिश्नर, जयपुर
6. जिला कलक्टर, जयपुर
7. समस्त आयुक्त, नगर निगम जयपुर
8. निदेशक (विधि), नगर निगम जयपुर
9. जनसंपर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर
10. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को भेजकर लेख है कि इस अधिसूचना को शीघ्रातिशीघ्र राजपत्र में प्रकाशित कर राजपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम जयपुर

(2)

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

अधिसूचना

नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधियां 2011

नगर निगम जयपुर की साधारण सभा की मीटिंग दिनांक 20.05.2011 के प्रस्ताव सं. 1 के द्वारा नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधियां 2011 की स्वीकृति प्रदान की गई है, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नगरीय निकाय क्षेत्र में विवाह स्थल से आमजन को होने वाली असुविधा एवं निकाय द्वारा सम्पादित सेवाओं पर बढ़ते हुए दबाव के कारण विवाह स्थलों के संचालन के नियंत्रण हेतु जनहित में उपविधि बनाया जाना आवश्यक हो गया है। मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एकलपीठ दीवानी याचिका संख्या 7275/06 श्री राजकुमार ताया बनाम सरकार व अन्य में दि. 11.04.08 को इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया था। अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नगर निगम जयपुर द्वारा बनाये गये संलग्न नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधियां, 2011 स्वीकृत करती है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2009) की धारा 340 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जयपुर एतद्द्वारा उपविधियां बनाता है, नामत :-

नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधियां, 2011

1. शीर्षक, सीमा एवं प्रभाव :-
   (क) ये उपविधियां नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधियां, 2011 कहलायेंगी।
   (ख) ये उपविधियां नगर निगम की साधारण सभा की बैठक दिनांक 20.05.2011 की स्वीकृति दिनांक से प्रभावशील होगी।
   (ग) ये उपविधियाँ नगर निगम जयपुर की समस्त सीमा में प्रभावशील होंगी।
2. शाब्दिक परिभाषाएं :- जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो, इन उपविधियों के प्रजोनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार व्यवहृत होगी :-
   (i) अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2009) से है।
   (ii) समिति से तात्पर्य नगर निगम जयपुर द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अंतर्गत गठित समिति से है।
   (iii) स्थानीय निकाय से तात्पर्य नगर निगम जयपुर से है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त
नगर निगम, जयपुर

(iv) उपयोग व उपभोग अनुमति से तात्पर्य विवाह स्थल पर इन उपविधियों के अंतर्गत उपविधि 2 के खण्ड (ix) में वर्णित उपयोगों हेतु दी जाने वाली अनुमति से है।

(v) अनुमति प्राप्तकर्ता से अभिप्रेत इन उपविधियों के अंतर्गत विवाह स्थल पंजीयन की अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, इसमें इनका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित होगा।

(vi) "महापौर" से तात्पर्य नगर निगम जयपुर के महापौर से है।

(vii) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से तात्पर्य नगर निगम जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है।

(viii) प्राधिकृत प्राधिकारी से तात्पर्य स्थानीय निकाय के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये प्राधिकृत अधिकारी से है जो जोन आयुक्त/ आयुक्त (राजस्व) से है, प्राधिकृत अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा उपविधियों के अंतर्गत विवाह स्थल की अनुमति एवं संचालन की क्रियान्विति सुनिश्चित की जावेगी।

(ix) विवाह स्थल से तात्पर्य नगर निगम जयपुर की सीमा में स्थित ऐसे समस्त भूखण्डों/फार्मो/सामुदायिक केन्द्रों/भवनों/क्लबों/बैंक्वट हॉल/धर्मशालाओं इत्यादि से है जो सगाई, शादी, जन्मदिवस एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समारोह/उत्सव/प्रदर्शनी/कन्वेंशन/गरबा उत्सव/नववर्ष आयोजन इत्यादि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाते हैं।

(x) ऐसे भूखण्ड/भवन जिनका रूपांतरण/आवंटन व्यावसायिक/पर्यटन/संस्थानिक प्रयोजनार्थ किया गया है परन्तु आवंटन की शर्तों में भूखण्ड/भवन का उपयोग उपविधी 2 के खण्ड (ix) में दर्शाये गये विभिन्न सामाजिक प्रयोजनार्थ को सम्मिलित नहीं किया गया है तो ऐसे समस्त भूखण्डधारी/भवन मालिक को "विवाह स्थल" पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क दिया जाना अनिवार्य होगा।

(xi) प्रपत्र से तात्पर्य इन उपविधी के साथ संलग्न प्रपत्र से है जो शब्द यहां परिभाषित नहीं किये हैं उनके संबंध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में दी गई परिभाषाएं लागू होंगी।

3. निषेद्ध :–

स्थानीय निकाय की सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्थान, कम्पनी स्थानीय निकाय की अनुमति प्राप्त किये बिना ऐसे स्थान का विवाह स्थल अथवा अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं कर सकेगा। वर्तमान में स्थापित विवाह स्थलों के संबंध में प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अपना कर नगर निगम जयपुर से अनुमति प्राप्त करनी होगी अन्यथा अवैध मानकर कार्यवाही की जावेगी।

4. अनुमति पत्र प्राप्ति की प्रणाली :– कोई भी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी जो स्थानीय निकाय सीमा में स्थित भूखण्ड/भवन/फार्म हाउस उपयोग विवाह स्थल/अन्य प्रयोजनार्थ करना चाहता हैं अथवा इन उपविधियों के प्रभावी होने से पहले ही स्थल का उपयोग उपरोक्त प्रयोजनार्थ किया जा रहा है तो उसे :–

(i) निर्धारित प्रपत्र "क" में आवेदन करना होगा।

(ii) विवाह स्थल का कम्प्यूटराईज्ड ले–आउट प्लान संलग्न करना होगा तथा उसके संबंध में निम्न विवरण देना अनिवार्य होगा–

(क) महिला व पुरूष के लिये भवन विनियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त शौचालय व मूत्रालय।

आयुक्त (मुख्यालय)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त
नगर निगम, जयपुर

(ख) भवन विनियमों में निर्धारित अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था।

(ग) आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियों की समाहित करने की क्षमता।

(घ) आने व जाने के दो रास्ते (सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य), अगर वर्तमान में आवेदित स्थल पर आने जाने का एक ही रास्ता उपलब्ध है तो आवेदनकर्ता को आवेदन करने से पूर्व दूसरा रास्ते की व्यवस्था की जाकर ही आवेदन किया जा सकेगा।

(ड)सडक की चौड़ाई न्यूनतम 40 फीट होना अनिवार्य है। सार्वजनिक सामुदायिक केन्द्रों के संबंध में सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 30 फीट होगी।

(च) कचरा संग्रहण एवं गंदे पानी की निकास की व्यवस्था।

(छ) बिजली–पानी तथा इमरजेंसी लाईट की पर्याप्त व्यवस्था।

(ज) वाटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था।

(झ) हलवाई/कैटरिंग/अग्नि स्थान जहां भोजन तैयार करने की व्यवस्था की जानी है, आवेदित स्थल पर विकसित वृक्षारोपण, पार्क, लैण्डस्केपिंग इत्यादि का विवरण, प्रस्तावित आवेदित स्थल पर लिये गये विद्युत कनेक्शन भार का विवरण मय अतिरिक्त जनरेटर रूम व्यवस्था, आतिशबाजी के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान का इंगितिकरण इत्यादि।

(ट) पार्किंग व्यवस्था कुल क्षेत्रफल के कम से कम 25 प्रतिशत में होगी।

(ठ) आवेदन पत्र के साथ विवाह स्थल के आवेदित भूखण्ड का कोई कर (गृहकर, नगरीय विकास कर, लीज इत्यादि) बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iii) संबंधित भूखण्ड के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज की प्रति

(iv) यदि उपयोगकर्ता किरायेदार है तो उसे स्थल के मालिक से लिखित में हुए इकरारनामा एवं एम.ओ.यू./अन्य कानूनी दस्तावेज, जिसके तहत निर्धारित स्थल का उपयोग किया जा रहा है कि नोटेराईज्ड प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी एवं विवाह स्थल की अधिसूचना (भूखण्ड/भवन मालिक की सहमति सहित) के अंतर्गत निर्धारित शर्तो का उसके द्वारा अक्षरशः पालन किया जावेगा इस हेतु 10/– का नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v) आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित आशयों का रू. 10/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि:–

(अ) ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग के संबंध में उपविधि संख्या 9 (d) की पालना की जावेगी।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त
नगर निगम, जयपुर

(ब) विवाह स्थल पर यातायात को बाधित होने से रोकने के लिए निर्धारित संख्या के अनुसार गार्ड लगाए जाने के संबंध में उपविधि सं. 11 की पालना की जावेगी।

(स) विवाह स्थल पर आयोजन से उत्पन्न कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थ अलग-अलग पॉलिबैग में पेक करके नगर निगम जयपुर के सफाई कर्मचारियों को सुपुर्द करने के संबंध में उपविधि सं. 13 की पालना की जावेगी।

(द) उपविधियों द्वारा निर्धारित प्रति आयोजन सफाई शुल्क जमा कराने के संबंध में उपविधि सं. 12 की पालना की जावेगी।

समस्त वांछित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् स्थानीय निकाय के अधिकृत प्राधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा आवेदित स्थल की जांच की जाकर अनुमति दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने का निर्णय लिया जाकर आवेदनकर्ता को सूचित किया जा सकेगा। नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासनिक निर्णय लेकर लाईसेंस देने की ऑनलाईन प्रक्रिया लागू कर सकेंगे। ऐसी दशा में आवेदक प्रार्थना पत्र के साथ सभी औपचारिक दस्तावेज एवं फीस अदायगी की रसीद प्रस्तुत करेगा। फीस अदा होने के 30 दिवस में अनुज्ञप्ति अधिकारी/जोन आयुक्त/आयुक्त (राजस्व)/फायर ऑफिसर/राजस्व अधिकारी उक्त विवाह स्थल की जांच उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप करेगा तथा विवाह स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति देगा। अस्वीकृत होने की दशा में कारण बताओं नोटिस जारी कर आवेदक को सुनेगा और सुनकर यथोचित आदेश जारी करेगा। निरस्त होने की दशा में जमा शुल्क लौटाया नहीं जावेगा। किंतु आवेदन अस्वीकार होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में स्थल का विवाह स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया गया है तो 5000/-रू. प्रोसेसिंग शुल्क जमा कर शेष राशि लौटा दी जावेगी।

5. प्रक्रियाः- अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पहली बार नया विवाह स्थल पंजियन की अनुमति देने से पूर्व सार्वजनिक विज्ञप्ति राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में आवेदनकर्ता के व्यय पर प्रकाशित करवायी जावेगी। 15 दिवस में आपत्ति प्राप्त न होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) पंजियन जारी किया जा सकेगा। यदि आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्तिकर्ता की सुनवायी की जाकर प्रकरण का निस्तारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा। पूर्व में स्थापित लाईसेंस विवाह स्थलों के संबंध में यह प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

विवाह स्थलों के लाईसेंस क्षेत्रीय आयुक्तगण द्वारा लाईसेंस समिति नगर निगम से स्वीकृत कराकर ही जारी किए जावें। समिति एक माह में निर्णय करेगी एक माह में निर्णय नही होने पर स्वतः ही क्षेत्रीय आयुक्त निर्णय करने हेतु सक्षम होंगे।

6. भूमि/भवन स्वामित्व की जांचः- यदि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हों या वांछित दस्तावेज जांच में सही नहीं पाये जावें तो उपविधि 4 के अंतर्गत

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम Hemlata

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त

प्राप्त आवेदन पत्र को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा। किंतु आवेदन अस्वीकार होने की दशा में यदि आवेदनकर्त्ता द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में स्थल का विवाह स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया है तो 5000/–रू. प्रोसेसिंग शुल्क जमा कर शेष राशि लौटा दी जावेगी। आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट करते हुए लिखित में सूचित करना आवश्यक होगा।

अपील:– विवाह स्थल के लिये आवेदनकर्ता के आवेदन को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी कारण अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अस्वीकार पत्र जारी करने के 30 दिवस में इसकी आपति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 में गठित नियम उपनियम समिति में की जा सकेगी।

8. आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने की समय सीमा:– स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने की 30 दिवस की अवधि में आवेदनकर्ता को स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

9. प्रतिबंधित क्षेत्र:–

(a) ऐसे स्थान पर जहां पर अस्पताल, रात्रिकालीन शिक्षण संस्थाऐं या अन्य इस प्रकार की संस्था चालू हो तथा विवाह स्थल की अनुमति दिये जाने पर शिक्षण कार्य में बाधा आती हो, वहां पर विवाह स्थल की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

(b) विवाह स्थल का संचालन चिकित्सालय से 100 फीट की परिधी में प्रतिबंधित होगा।

(c) राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों पर अथवा राज्य सरकार की पूर्वानुमति पर स्थानीय निकाय सुरक्षा व जन असुविधा का ध्यान रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर सकती है।

(d) निर्धारित समय रात्रि 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस बाबत् विवाह स्थल पर इस संबंध में बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि यंत्रों के संबंध में जारी निर्देशों/प्रतिबंधों की पूर्ण पालना करनी होगी।

10. अग्निशमन के अनापत्ति प्रमाण पत्र का शुल्क निम्नानुसार वसूल किया जावेगा:–

(i) 1500 व.मी. तक के विवाह स्थल के लिए – 5000रू. वार्षिक

(ii) 1500 से अधिक 5000व.मी. तक के विवाह स्थल के लिए – 10000रू. वार्षिक

(iii) 5000 व.मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिए – 15000रू. वार्षिक

11. प्रत्येक विवाह स्थल पर विवाह या अन्य आयोजन के दिन विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारी को स्वयं के खर्चे पर विवाह स्थल के बाहर निम्नानुसार गार्डो की व्यवस्था करनी होगी–

(i) 1500 व.मी. से कम के विवाह स्थल के लिए – 2 गार्ड

(ii) 1500 से 5000व.मी. तक के विवाह स्थल के लिए – 3 गार्ड

(iii) 5000व.मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिए – 4 गार्ड

आयुक्त (राजस्व)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त

ये गार्ड वाहनों को विवाह स्थल की निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करवाऐंगे तथा विवाह स्थल के सामने यातायात को बाधित होने से रोकेंगे।

12. विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारियों से निम्नानुसार सफाई शुल्क वसूल किया जावेगा :-

(i) 1500 व.मी. से कम के विवाह स्थल के लिए — 15,000रू. प्रति वर्ष

(ii) 1500 से 5000व.मी. तक के विवाह स्थल के लिए — 30,000रू. प्रति वर्ष

(iii) 5000व.मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिए — 50,000रू. प्रति वर्ष

उक्त सफाई शुल्क वर्ष में दो किस्तों में जमा होगा प्रथम किस्त अप्रेल में एवं द्वितीय किस्त सितम्बर में देनी होगी। यदि कोई विवाह स्थल मालिक / संचालक पूरे वर्ष का शुल्क एक मुश्त माह अप्रेल में जमा कराता है तो उसे 10 प्रतिशत छूट दी जावेगी।

13. विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारी को कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थों को अलग- अलग पॉलीबैगस् में पैक करवाकर निगम के सफाई कर्मचारियों को सुपुर्द करना होगा। विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारी कचरा व अपशिष्ट पदार्थों को निगम के कचरा डिपो के पास, विवाह स्थल के आसपास या बाहर सड़क पर नही डालेंगे यदि इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूल किया जावेगा।

14. विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) पंजियन एवं अनुमति शुल्कः-

(अ) इन उपविधियों के अन्तर्गत विवाह स्थल पर प्रति वर्ष क्षेत्रफल के अनुसार पंजीयन शुल्क निम्न प्रकार से देय होगा:-

(a) 1000 व.मी. तक के विवाह स्थल 10,000/-- रू. वार्षिक।

(b) 1000 व.मी. से अधिक 1500 व.मी. तक के विवाह स्थल 20,000/-रू. वार्षिक।

(c) 1500व.मी. से अधिक 2500 व.मी. तक के विवाह स्थल 30,000/-रू. वार्षिक।

(d) 2500 व.मी. से अधिक 5000 व.मी. तक के विवाह स्थल 50,000/-रू. वार्षिक।

(e) 5000 व.मी. से अधिक के विवाह स्थल 60,000/-रू. वार्षिक।

(ब) विवाह स्थल उपयोग का अनुमति शुल्क 20/-रू. प्रति.व.ग. प्रति वर्ष देय होगा।

(स) उपरोक्त (अ) व (ब) शुल्क वित्तीय वर्ष के अनुसार देय होंगे यदि विवाह स्थल वित्तीय वर्ष के मध्य में स्थापित किया जाता है तो भी पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा।

उपरोक्त विवाह स्थल पंजियन शुल्क एवं विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति शुल्क, नगरीय निकाय को देय किसी भी अन्य शुल्क कर इत्यादि के अतिरिक्त होगा।

नोटः किंतु आवेदन अस्वीकार होने की दशा में यदि आवेदनकर्त्ता द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में स्थल का विवाह स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया है तो 5000/-रू. प्रोसेसिंग शुल्क जमा कर शेष राशि लौटा दी जावेगी।

15. नगर निगम जयपुर को उपरोक्त सभी दरों में प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् शुल्क वृद्धि करने का अधिकार होगा।

(राजस्व)
नगर निगम

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त
नगर निगम, जयपुर

नवीनीकरणः– अनुमति प्राप्तकर्ता को प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् विवाह स्थल पंजियन का नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा। जिसके लिये अनुमति प्राप्तकर्ता को पूर्ण पूर्तियों के साथ आवेदन करना होगा, परन्तु–

(क) यदि आवेदन प्राप्तकर्ता 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष नवीनीकरण हेतु अप्रेल से पूर्व केवल देय शुल्क जमा करवा देता है तो उसे पर्याप्त माना जाकर नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) अनुमति शुल्क पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये देय होगा यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में समारोह स्थल स्थापित किया जाता है तो भी अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा पूरे वर्ष का शुल्क देना अनिवार्य होगा।

(ग) 01फरवरी से 31 मार्च की अवधि में स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत विवाह स्थलों द्वारा अग्रिम वित्तीय वर्ष हेतु देय शुल्क जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा यदि उपरोक्तानुसार शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो प्रथम तीन माह तक देय कुल शुल्क की राशि पर 10 प्रतिशत शास्ति एवं तत्पश्चात प्रतिदिन के विलम्ब पर 100/–रू. विलम्ब शुल्क के रूप में अतिरिक्त शुल्क शास्ति के रूप में देय होगा।

17. विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) का अनुमति पत्र निम्न शर्तों के अध्यधीन होगा :–

(क) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल के चारों ओर सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रबंध किए जावेंगे।

(ख) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल के संबध में आवश्यक हिदायतें व सूचनाएं पंजीकरण संख्या, रसीद संख्या, जमा राशि, निगम द्वारा जारी शर्तें परिसर के बाहर 6 X 4 फीट का बोर्ड लगाकर अंकित की जावेगी। इनका निर्धारण स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा।

(ग) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा राज्य सरकार/जिला प्रशासन/नगर निगम द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी।

(घ) विवाह स्थल अनुमतिपत्रधारी को कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थों को अलग– अलग पॉलीबैगस् में पैक करवाकर निगम के सफाई कर्मचारियों को सुपुर्द करना होगा। विवाह स्थल अनुमतिपत्रधारी कचरा व अपशिष्ट पदार्थों को निगम के कचरा डिपो के पास, विवाह स्थल के आसपास या बाहर सड़क पर नही डालेंगे यदि इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूल किया जावेगा।

(ड़) वह अपने विवाह स्थल पर अग्निशमन से संबंधित निर्धारित उपकरण लगवाया जाना सुनिश्चित करेगा। लाईसेंस जारी होने के पश्चात् अग्निशमन अधिकारी विवाह स्थल परिसर की जांच कर सकेगा एवं उक्त परिसर में अग्निशमन के मापदण्ड पूर्ण नहीं पाता है तो लाईसेंस निरस्त करने की अभिशंषा लाईसेंस ऑथोरिटी को देगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त
नगर निगम, जयपुर

(रोजगार)
... निगम

...2010 Hoarding\Hemlata

(च) स्थानीय निकाय द्वारा विवाह स्थल से कचरा उठाने के लिए निर्धारित किया गया शुल्क अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा देय होगा।

(छ) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल के कुल क्षेत्र का 25 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाजनक सुरक्षित पार्किंग स्थल स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध करवाना होगा एवं उस क्षेत्र को बेरिकेट्स आदि लगाकर पृथक से पार्किंग प्रदर्शित करेगा। अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल से अनुमोदित ले–आउट प्लान में इंगित शर्तों की पालना सुनिश्चिम करते हुए विवाह स्थल विकसित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ज) केन्द्र/राज्य सरकार के ध्वनि/वायु प्रदूषण एवं अन्य संबंधी नियमों/अधिनियमों की पालना अनुज्ञापत्रधारी द्वारा की जावेगी।

18. **अभियोजनः–** नगर निगम जयपुर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो स्वास्थ्य निरीक्षक से कनिष्ठ पद का नहीं होगा, विवाह स्थल का निरीक्षण कर सकेगा। यदि उपयोग एवं उपभोग में निर्देशित शर्तों उपविधियों का उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 3 दिवस में पूर्ति करने हेतु अनुमति प्राप्तकर्ता को सूचित किया जावेगा, यदि नियत अवधि में अनुमति प्राप्तकर्ता पालना नहीं करता है तो अनुमति पत्र अविलम्ब निरस्त किया जाकर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह स्थल सम्पत्ति को सीज किया जाकर दोषी व्यक्ति, संस्था एवं कम्पनी के विरूद्ध अभियोजन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ की जा सकेगी।

19. **समझौताः–** न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 में गठित समिति या नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत समिति/अधिकारी को होगा।

20. **उपविधियों का उल्लंघनः–** इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन पाया जाने पर प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 10000/–रू. का अर्थदण्ड दिया जाकर उपविधि सं. 17 के अंतर्गत कार्यवाही अनुमति प्राप्तकर्ता के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।

21. **अर्थदण्ड की राशि को स्थानीय कोष में जमा करवानाः–** अर्थदण्ड की धनराशि अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नगरपालिका कोष में जमा करवाई जाकर प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

22. **अवैध विवाह स्थलों का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही–** यदि किसी संस्थान अथवा व्यक्ति द्वारा विना अनुमति के स्थानीय निकाय सीमा में विवाह स्थल विद्यमान अथवा शुरू किया जाता है तो उसे स्थानी निकाय द्वारा अवैध मानकर हटाया/सीज किया जा सकेगा एवं अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।

23. उपविधियों की किसी भी शर्तो का उल्लंघन करने पर विवाह स्थल को सीज करने का अधिकार अनुज्ञप्ति अधिकारी को होगा एवं इसकी अपील 30 दिवस में महापौर महो. को की जा सकेगी। महापौर नगर निगम दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करेंगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त
नगर निगम, जयपुर

24. जनरेटर रूम की व्यवस्थाः— नगर निगम जयपुर क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलों में जेनरेटर सेट इस प्रकार लगाने होंगे जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो एवं उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो।

25. **सार्वजनिक स्थानों के सामाजिक समारोह हेतु उपयोग पर रोकः**— स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्थित विकास समिति एवं गृह निर्माण एवं मौहल्ला विकास समिति द्वारा जो स्थान सार्वजनिक पार्क हेतु छोडे गये हैं उनका उपयोग विवाह स्थलों हेतु नहीं किया जावेगा; न ही उन्हे अनुमति पत्र जारी किया जावेगा। उनका उपयोग जिस उद्देश्य हेतु रखा गया है उसी उपयोग में लिया जा सकेगा।

26. **सामुदायिक केन्द्रों / सार्वजनिक धर्मशालाओं के विवाह स्थलों के उपयोग पर शुल्क राशि में छूटः**— भारत सरकार / राज्य सरकार के सरकारी / अर्द्धसरकारी विभागों / उपक्रमों द्वारा निर्मित किये गये विवाह स्थलों जिनका संचालन नागरिक समितियों द्वारा किया जा रहा है तथा सार्वजनिक धर्मशालाओं के पंजीकरण एवं अनुमति शुल्क हेतु उपविधि 14 के अंतर्गत निर्धारित राशि की 25 प्रतिशत राशि शुल्क के रूप में ली जा सकेगी, परन्तु ऐसे विवाह स्थल जिनका संचालन भारत सरकार / राज्य सरकार के सरकारी / अर्द्धसरकारी विभागों / उपक्रमों द्वारा स्वयं के स्तर पर संचालन किया जा रहा है को उपविधि 14 से छूट होगी।

27. **पार्किंग और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करनाः**— अनुमति प्राप्तकर्ता को पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर सुनिश्चित करनी होगी। यातायात के संबंध में स्थानीय निकाय एवं स्थानीय पुलिस द्वारा विवाह जुलुस को यातायात की सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित किया जा सकेगा। किसी क्षेत्र में सडक विशेष पर विवाह जुलुस को अनुमति देने हेतु प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।

28. **विवाह स्थलों की भूमि का अन्य उपयोग पर प्रतिबंधः**— अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल की अनुमति प्राप्त होने के बाद अनुमति पत्र की एक—एक प्रति संबंधित पुलिस थाना व जिलाधीश को देनी आवश्यक होगी। स्थानीय निकाय द्वारा समाज के सामाजिक दायित्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दृष्टिगत रखते हुये विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) हेतु जारी अनुमति पत्र किसी भी प्रकार की भू—उपयोग परिवर्तन की अनुमति या अंगीकार नहीं माना जावेगा। अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा भविष्य में संबंधित स्थल का भू—उपयोग परिवर्तन चाहने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भू—उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर संबंधित उपविधियों के अंतर्गत भू—उपयोग परिवर्तन स्वीकृत / अस्वीकृत किया जा सकेगा।

29. **स्थानीय निकाय का सर्वाधिकार सुरक्षितः**— विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति पत्र से भूमि / भवन के स्वामित्व का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। स्थानीय निकायों द्वारा विवाह स्थल हेतु जारी अनुमति पत्र की स्वीकृति को कारण स्पष्ट किए बिना निरस्त करने का अधिकार

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त
नगर निगम, जयपुर

होगा। निरस्तीकरण पर स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

30. वर्तमान में अवैध रूप से संचालित विवाह स्थलों को विवाह स्थल अनुमति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में:– नगर निगम जयपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नगर निगम जयपुर के परिधीय क्षेत्रों में वर्तमान में संचालित विवाह स्थलों एवं उपविधी 2 के खण्ड (ix) में वर्णित अन्य गतिविधियों हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थलों का सर्वेक्षण अधिसूचना जारी होने के 30 दिवस की अवधि में करवाया जाकर जोनवार सूची तैयार की जाकर उपविधी संख्या 14,16,17,18 एवं 19 के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

31. अनुमति प्राप्तकर्ता से शपथ पत्र प्राप्त किया जाना:– प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह स्थल की स्वीकृति जारी करने से पूर्व अनुमति प्राप्तकर्ता से 10 रु. के नॉन ज़्यूडिशियल स्टांप पत्र पर इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा इन उपविधियों में वर्णित समस्त दिशा निर्देशों को अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावेगी अन्यथा उसका उपयोग एवं उपभोग स्वतः निरस्त समझा जा सकेगा।

32. निरसन और व्यावृतियां:– इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् पूर्व में जारी आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियां निरस्त समझी जावेंगी लेकिन इस उपविधियों के प्रवर्तन में आने से पूर्व निरसित आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियों के तहत किया गया कोई कार्य उपविधियां प्रभावशील होने के कारण अवैध नहीं समझा जावेगा।

साधारण सभा की आज्ञा से।

आयुक्त (राजस्व)
जयपुर नगर निगम

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त
नगर निगम, जयपुर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम जयपुर।

नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल पंजीयन) उपविधियां 2011 के अनुसार चैक लिस्ट

विवाह स्थल का नाम –

आवेदक का नाम –

आवेदन वर्ष –

क्र. सं.	विवरण	हां	नहीं	अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले अधिकारी की टिप्पणी
1	क्या भवन विनियम नियमों के अनुसार महिला/पुरुष शौचालय पृथक–2 व पर्याप्त मात्रा में बने हैं।			
2	क्या नियमानुसार अग्निशमन यंत्र विवाह स्थल पर लगाए गए हैं।			
3	क्या विवाह स्थल के कम से कम दो द्वार हैं			
4	क्या विवाह स्थल से लगने वाली सडक की चौड़ाई 40 फीट या अधिक है			
5	क्या कचरा संग्रहण हेतु पृथक–2 पॉलीबैग्स की व्यवस्था है			
6	क्या गंदे पानी के निकास की व्यवस्था है			
7	क्या वाटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था है			
8	क्या इमरजेंसी लाईट की व्यवस्था है			
9	क्या पार्किंग के लिए कुल क्षेत्र का 25% स्थान आरक्षित है। जिसे पृथक से विवाह स्थल पर डिमार्केशन किया है			
10	क्या सुरक्षा गार्ड निर्धारित मापदण्डों अनुसार हैं			
11	क्या विवाह स्थल हेतु आवेदित भूखण्ड की लीज, गृहकर, नगरीय विकास कर या नगर निगम का अन्य कोई कर, शुल्क, दायित्व बकाया तो नहीं है। जमा की रसीद संलग्न करें।			
12	क्या विवाह स्थल स्टेज व प्रवेश द्वार पर रैम्प की व्यवस्था है			
13	क्या निर्धारित शपथ पत्र संलग्न कर दिया है			
14	क्या निर्धारित अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क जमा करा दिया है। रसीद की प्रति संलग्न करें।			
15	क्या सफाई शुल्क जमा करा दिया है। रसीद की प्रति संलग्न करें।			
16	क्या पंजीकरण शुल्क जमा करा दिया है। रसीद की प्रति संलग्न करें।			
17	क्या उपयोग का अनुमति शुल्क जमा करा दिया है। रसीद की प्रति संलग्न करें।			
18	क्या विवाह स्थल के बाहर 6 x 4 फीट का आवश्यक हिदायतें व सूचनाओं का बोर्ड लगा दिया है।			
19	क्या साउण्ड लैस जेनरेटर रूम/सैट की व्यवस्था है अथवा सैट इस प्रकार लगाया है कि आम जनता को असुविधा न हो।			
20	क्या विवाह स्थल का लोकेशन मैप संलग्न है			
21	क्या विवाह स्थल का इनर लेआउट प्लान संलग्न है।			
22	क्या भूखण्ड स्वामी की सहमति पत्र की नोटरी से प्रमाणित प्रति संलग्न है। क्या स्वामित्व दस्तावेज व किरायेदारी दस्तावेज संलग्न हैं?			

आवेदक के अस्ताक्षर

जांच अधिकारी की टिप्पणी

13

कार्यालय नगर निगम जयपुर, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

विवाह स्थल उपयोग हेतु लाइसेन्स प्राप्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र

प्रपत्र "क"

1. विवाह स्थल का नाम ....
2. विवाह स्थल का पता ....
....
3. आवेदक का नाम ....
4. पता/दूरभाष नं. (कार्या/निवास/मोबाइल) ....
5. भूखण्ड मालिक का नाम, पता व
दूरभाष नं. (कार्या/निवास/मोबाइल) ....
....
6. विवाह स्थल का कुल क्षेत्रफल ....
7. आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियों के समाहीत
करने की क्षमता ....
8. अग्निशमन के अनापत्ति प्रमाण पत्र के जमा शुल्क
की रसीद नं. मय दिनांक की फोटोप्रति ....
9. सफाई शुल्क जमा की रसीद नं. मय दिनांक
की फोटोप्रति ....
10. पंजीयन जमा शुल्क की रसीद नं. मय दिनांक
की फोटोप्रति ....
11. अनुमति जमा शुल्क की रसीद नं. मय दिनांक
की फोटोप्रति ....
12. अन्य विवरण मय नक्शा विवाह स्थल स्वामित्व
तथा किरायेदारी संबंधी दस्तावेज ....

कृपया उपरोक्त विवाह स्थल का वर्ष .... का अनुज्ञा पत्र जारी करने का श्रम करावें।

आवेदक के हस्ताक्षर

नामः

दिनांकः–

पता/टेलीफोन नं.

कार्यालय नगर निगम जयपुर, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

प्रपत्र "ख"

विवाह स्थल अस्थायी अनुज्ञापत्र वर्ष ....

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र आदि के आधार पर वित्तीय वर्ष..................... के लिए निम्न भूखण्ड का उपयोग नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल पंजीयन) उपविधियां 2010 के अंतर्गत ' विवाह स्थल के रूप में करने की अस्थायी अनुज्ञा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों की विवाह स्थल पर भौतिक जांच में सही पाए जाने के अध्याधीन दी जाती है। जिनकी जांच 30दिवस में की जाकर सही पाये जाने पर पृथक से स्थायी अनुज्ञा पत्र जारी किया जाएगा।

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. मालिक का नाम व पता ....
4. दूरभाष नं. (कार्यालय / निवास / मोबाइल) ....
5. विवाह स्थल का नाम एवं पता ....
6. जोन का नाम जिनके क्षेत्र में है ....
7. वार्ड नं. ....
8. विवाह स्थल के बारे में विवरण ....
9. वित्तीय वर्ष ....
10. निर्देश ....

नोटः— इस अनुज्ञा पत्र का उपयोग भूखण्ड के स्वामित्व एवं भू—उपयोग निर्धारण के लिए मान्य नहीं है।

हस्ताक्षर लाइसेंसी ऑथोरिटी